

नो हंगरी चाइल्ड

पौष्टिक आहार एवं बाल विकास कार्यक्रम ()

वकिल्प 4 - बना सक्थोरटि डपिजटि के चरणबद्ध कार्यप्रणाली

वकिल्प 4 उन संस्थाओं/ के लिए है जो वर्तमान में सक्थोरटि डपिजटि या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नविश के बना के साथ काम शुरू करना चाहती हैं। इसका उद्देश्य संस्था को अपनी ईमानदारी, कार्यक्षमता, दस्तावेजीकरण और कार्यक्रम क्रियान्वयन की गुणवत्ता सदिध करने का अवसर देना है।

केवल भोजन वितरण कार्यक्रम नहीं है

का उद्देश्य गरीब, अत्यंत वंचित और जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में लाना है। पौष्टिक भोजन के साथ बच्चों में स्वच्छता, अच्छी आदतें, अनुशासन, अच्छा व्यवहार, सकारात्मक सोच, साझा करना, एक-दूसरे की देखभाल, बुनियादी जीवन-मूल्य और शिक्षा/बाल विकास से जुड़ी गतिविधियाँ विकसित करना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है।

चरण 1 - का पोर्टल रजिस्ट्रेशन

संस्था के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेगी। उपलब्ध/लागू संगठनात्मक दस्तावेज संबंधित श्रेणियों में अपलोड किए जाएंगे। इनमें , / 8 , , 12/12, 80, -1, (यदि लागू हो), // , का , आदि शामिल हो सकते हैं।

चरण 2 - जरूरतमंद बच्चों की पहचान

वास्तविक गरीब, वंचित और जरूरतमंद बच्चों की पहचान करेगी। बच्चों का चयन केवल कार्यक्रम की पात्रता और वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए।

चरण 3 - प्रत्येक बच्चे का आवेदन

हर बच्चे के लिए अलग , बच्चे की , आवश्यक तथा / की // एकत्र की जाएगी।

चरण 4 - बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड

प्रत्येक चयनित बच्चे का , और पूर्ण विवरण पर अपलोड किया जाएगा। सभी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीयता और जम्मेदारी के साथ संभालना आवश्यक है।

चरण 5 - पहला कार्यक्रम एवं अनुमानित खर्च प्रस्तुत करें

जिस कार्यक्रम/ को आयोजित करना चाहती है, उसका संक्षिप्त और अनुमानित वास्तविक खर्च पहले को प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम में क्या किया जाएगा, कतिने बच्चे भाग लेंगे, स्थान, तारीख तथा खर्च का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए।

चरण 6 - पहले की स्वीकृति, उसके बाद ही खर्च

की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने से पहले कोई खर्च न करे। केवल स्वीकृत कार्यक्रम और स्वीकृत मदों के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए।

चरण 7 - अपने संसाधनों से स्वीकृत कार्यक्रम आयोजित करेगी

स्वीकृत मिलने के बाद अपने धन/संसाधनों से कार्यक्रम आयोजित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य वास्तविक रूप से और स्वीकृत योजना के अनुसार पूरा हो।

चरण 8 – कार्यक्रम के बाद प्रमाण एवं दस्तावेज़ अपलोड

कार्यक्रम पूरा होने के बाद वास्तविक / , , ,
/ तथा एक संक्षिप्त - पोर्टल पर अपलोड करेगी।

चरण 9 – ऑडिट एवं सत्यापन

दस्तावेज़ और कार्यक्रम का विवरण प्राप्त होने के बाद सामान्यतः लगभग 7 दिनों के भीतर उपलब्ध रिकॉर्ड, कार्यक्रम और खर्च का / करेगी। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।

चरण 10 – पात्र एवं स्वीकृत वास्तविक खर्च की प्रतिलिपि

सभी दस्तावेज़ और कार्य संतोषजनक पाए जाने पर केवल , और की की जाएगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किए गए या सत्यापित न हो सकने वाले खर्च की प्रतिलिपि का आश्वासन नहीं दिया जाता।

वास्तविक खर्च और अलग

को केवल वास्तविक और सही ही प्रस्तुत करना है। या खर्च को बढ़ाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। के कार्य की प्रकृति, गुणवत्ता, , और का मूल्यांकन करके , जहाँ उपयुक्त और स्वीकृत हो, के अतिरिक्त अलग से निर्धारित और प्रदान कर सकता है।

आगे की साझेदारी

क्लियर 4 का सफल क्रियान्वयन संस्था की और प्रदर्शित करता है। कार्य, पारदर्शिता और दस्तावेज़ीकरण संतोषजनक रहने पर भविष्य में संस्था को बड़े या दीर्घकालीन / के लिए विचार कर सकता है।

तत्काल कार्य क्रम

बच्चों की पहचान आवेदन एकत्र करना पोर्टल पर अपलोड कार्यक्रम एवं अनुमान प्रस्तुत करना की स्वीकृति द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना /// अपलोड स्वीकृत पात्र खर्च की

30, , , - 560004

फोन: 080-41493493 | ईमेल: ..

वेबसाइट: .. | . ()